प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

सेवा में,

नवयुग पब्लिक स्कूल
हामिदपुर टप्पल अलीगढ।

पत्रांक/बे0मान्यता/ 14519 /2015–16 दिनांक– 5-11-15

विषय– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके तारीख 21.08.2015 के आवेदन और इस सबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै– **नवयुग पब्लिक स्कूल हामिदपुर टप्पल अलीगढ** को तारीख 01.04.2015 से तारीख 31.03.2018 तक तीन बर्ष की अवधि के लिये **कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2–विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध–1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध–2)के उपवंधो का पालन करेगा ।

3–विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4–पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5–सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा ।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उवबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)–प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जाएगा ।

(3)–प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोंई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(4)–प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)–अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

(6)–अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पांच वर्ष की अवधि क भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगे ।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है,और

(8)–अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमो को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

कीडा–स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओ की संख्या

प्राध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिये कक्ष

बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई

बाधारहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

9–विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी ।

10–विद्यालय भवनो या अन्य सरचनाओ या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनो के लिये किया जाता है

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

13–विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14–आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(संजय कुमार शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांकःबे० 6812 /2019–20/ दिनांक 10/6/19

प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांकः 08 मई 2013 में निहित प्राविधानुसार नवयुग पब्लिक स्कूल हामिदपुर टप्पल अलीगढ़ को दिनांकः 01.04.2015 से दिनांकः31.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 01 से 08 तक(अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता प्रदान की गयी थी। खण्ड शिक्षा अधिकारी टप्पल की आख्यानुसार विगत तीन वर्षो में विभाग द्वारा विद्यालय के बिरूद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है,तथा विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं 2011 का पालन करता है।

अतः उक्त विद्यालय को तीन वर्ष के लिये प्रदान की गयी मान्यता को ही स्थायी पढ़ा जाय।

डा0(लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
अलीगढ़।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़